भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 919

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**न्यायाधीशों की भर्ती और मामलों का निपटान**

**919. श्री राम कुमार कश्यप :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 23 प्रतिशत पद रिक्त पड़े है ;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए न्यायाधीशों की भर्ती हेतु क्या कदम उठाए गए है ;

(ग) क्या त्वरित विचारण संविधन के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी प्रदान की गई उचित निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया का एक हिस्सा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों में किसी मामले के निपटारे हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है ; और

(ङ) अधीनस्थ, उच्च और उच्चतम न्यायालयों में कुल कितने मामले लम्बित है और उनमें से कितने मामले क्रमशः पांच और दस वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** संवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संबंद्ध उच्च न्यायालयों पर है । उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार 30.11.2017 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की मंजूर पदों की संख्या 22,667 है और कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारियों और रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 16,693 और 5,984 है ।

**(ग)** **:** जी हां, संविधान का अनुच्छेद 21 युक्तियुक्त निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया के भाग के रुप में द्रुत विचारण की गांरटी देता है । भारत के उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में संप्रेषण किया है कि निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त प्रक्रिया जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतनिर्हित है, द्रुत विचारण के लिए अभियुक्त के अधिकार का सृजन करता है ।

**(घ)** **:** न्यायालयों में मामलों का निस्तारण न्यायपालिका का क्षेत्र है । मामले के निस्तारण के लिए लगने वाला समय अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे मामले का प्रवर्ग (सिविल या दांडिक), अंर्तविलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, भागीदारों का सहयोग जैसे बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादकारियों के अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना, सहयोगी न्यायालय कर्मचारीवृंद की उपलब्धता और प्रक्रिया के लागू नियम। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं है ।

**(ड.)** **:** भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार 1.11.2017 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में 55,259 मामले लंबित हैं । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के वेब पार्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 34.23 लाख मामले उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद और जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालयों को छोड़कर) में 20.12.2017 तक लंबित है जिसमें से 7.47 लाख मामलें 5 से 10 वर्ष पुराने हैं और 6.43 लाख मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं । 2.60 करोड़ मामले देश के विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों और लक्षद्वीप और पुडूचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) 20.12.2017 तक लंबित थे जिनमें से 41.82 लाख मामले 5 से 10 वर्ष पुराने और 22.62 लाख मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*